न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 43/2018

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता–
हेमपुरी पुत्र श्री लूम्भपुरी जाति		राजस्थान सरकार
सन्त निवासी अम्बो का वाड़ा		जरिये जिला रसद अधिकारी,
तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर		बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आव यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.06.2018 जो विभागीय प्रकरण सं. 15/2018 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री अमृतलाल जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 04/06/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 15/2018 सरकार बनाम हेमपुरी मे पारित निर्णय दिनांक 25.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलांट हेमपुरी/लूम्भपुरी, उचित मूल्य दुकानदार अम्बो का वाड़ा, तहसील समदडी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री वितरण की शिकायत की जांच हेतु प्रवर्तन अधिकारी बालोतरा द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता श्री रूपदास/सीताराम निवासी अम्बो का वाड़ा को माह नवम्बर 17 मे पोश मशीन पर अंगूठा लगाकर ट्रांजेक्शन किया जाकर गेंहू नही दिया जाना, शिकायत पर पाबंद करने पर भी खाद्यान्न नही दिया जाना

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

एवं राशन कार्ड का फर्जी ट्रांजेक्शन कर 20 किलोग्राम गेंहू का गबन किये जाने की अनिनियमितताऐं पाई जाने पर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर विभागीय प्रकरण दर्ज किया एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विवेचन उपरांत अपीलांट को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के विभिन्न खण्डों एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 14 व 18 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि रूपये 1000 जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2018 जारी किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष दिनांक 11.09.2018 को प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

3 अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4 हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि अपीलांट के नाम ग्राम अम्बो का वाड़ा हेतु जारी उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह प्रवर्तन अधिकारी की जांच के आधार पर पारित किया गया है जो विधिक भूल एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का पदवार जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था जिसको रेकर्ड पर नही लिया गया एवं शिकायत जांच मे जांच अधिकारी द्वारा जिन गवाहान के बयान लिये गये, उनसे शिकायत के तथ्यों की पुष्टि नही होती है। शिकायतकर्ता रूपदास ने स्वंय ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित मे प्रस्तुत किया कि राशन सामग्री का उसे वितरण किया जा चुका है, इसके बावजूद भी जांच अधिकारी की एकपक्षीय जांच के आधार पर अपीलार्थी का

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्राधिकार पत्र बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किये ही निरस्त कर दिया गया है जो एक गम्भीर त्रुटि है। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी बीमार होने से अपीलाधीन निर्णय की यथा समय जानकारी नही हो सकी तथा जानकारी होने पर प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार उल्लेखित आधार पर स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का श्रम करावें।

5. इसके जवाब मे रेस्पोडेंट के पैरोकार का यह तर्क है कि अपीलांट के प्राधिकार के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान पर पोश मशीन पर अंगुष्ठ लगाने के बावजूद भी उपभोक्ता को राशन सामग्री प्रदान नही की गई तथा दुकान की अवशेष सामग्री 4.40 क्विंटल एवं 4133 लीटर केरोसीन आदेशानुसार वैकल्पिक उचित मूल्य दुकानदार को हस्तान्तरित नही कर गबन किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा उसे जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का भंग किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब मे की गई अनियमितताओं का कोई ठोस एवं संतुष्टिपरक तथ्य पेश नही करने से अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश मे किसी प्रकार की काई विधिक या वाक्याती भूल नही होने से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है जो खारिज फरमाई जावें।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट हेमपुरी/लूम्भपुरी, उचित मूल्य दुकानदार अम्बों का वाड़ा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री के वितरण मे अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर उसका प्रवर्तन अधिकारी बालोतरा द्वारा जांच की गई। जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता एवं अन्य गवाहान के बयान लिये जाकर राशन सामग्री का अनियमित वितरण पाये जाने पर रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष शिकायतकर्ता का लिखित कथन प्रस्तुत करवाया गया कि "उसने माह नवम्बर गेंहू प्राप्त कर लिया है तथा डीलर से कोई आपत्ति नही हैं" जबकि शिकायतकर्ता ने पूर्व मे इसी माह की राशन सामग्री नही मिलने पर राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस प्रकार प्रथमदृष्ट्या प्रतीत होता है कि अपीलांट द्वारा पूर्व मे उसे पोश मशीन पर अंगुठा लगवाने के बाद भी गेंहू का वितरण नही किया तथा शिकायत होने पर उससे समझौता कर अपने पक्ष मे लिखित मे बयान देने हेतु राजी किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच मे अन्य गवाहान के बयानों एवं भौतिक सत्यापन मे अपीलार्थी के विरूद्ध अनियमितताऐं पाई गई। इस प्रकार राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत अपीलार्थी को जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसका अपीलार्थी द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष कोई ठोस तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत किया है। इस आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2018 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. आदेश आज दिनांक 04.06.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner